क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू

277
अगस्त
2002

शाखा बैंकिंग

मासिक अंतराल पर ब्याज लगाना

रिज़र्व बैंक ने ऋणों और अग्रिमों पर मासिक अंतराल पर ब्याज लगाने की प्रणाली के संबंध में पहले जारी अनुदेश समेकित किये हैं। बैंकों को अब सूचित किया जाता है कि वे निम्नानुसार समेकित अनुदेशों का पालन करें:

(i) बैंकों को यह विकल्प है कि वे मासिक अंतराल पर चक्रवृद्धि ब्याज लगाने के लिए पहली अप्रैल 2002 से या पहली जुलाई 2002 से या पहली अप्रैल 2003 से यह पद्धति अपनायें।

(ii) पहली जुलाई 2002 से प्रारंभ तिमाही से बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रभावी दर, मासिक अंतराल पर ब्याज लगाने/चक्रवृद्धि ब्याज लगाने की प्रणाली अपनाये जाने के कारण मात्र से ही अधिक न हो जाये और ऋणकर्ताओं पर अधिक भार पड़े। यदि किसी बैंक ने 30 जून 2002 को समाप्त तिमाही में भिन्न पद्धति अपनायी हो तो उस तिमाही के लिए अब समायोजन करे।

(iii) मासिक अंतराल पर ब्याज लगाने की पद्धति सभी प्रचलित खातों अर्थात् नकदी ऋण, ओवरड्राफ्ट, निर्यात पैकिंग ऋण खातों आदि तक सीमित होगी। मासिक अंतराल पर ब्याज लगाते समय बैंक, प्रलेखन के उद्देश्य से ऋणकर्ता से सहमति पत्र/पूरक करार प्राप्त कर सकते हैं।

(iv) मासिक अंतराल पर ब्याज सभी नये और मौजूदा मीयादी ऋणों तथा लंबी/नियत अवधि के अन्य ऋणों पर लागू होगा।

(v) लंबी/नियत अवधि के मौजूदा ऋणों के मामले में बैंक मासिक अंतराल पर ब्याज लगाना नियमों और शर्तों की समीक्षा करते समय अथवा ऐसे ऋण खातों का नवीकरण करते समय या ऋणकर्ता से सहमति प्राप्त करने के बाद लागू करेंगे।

उदाहरण

यदि कोई बैंक किसी ऋणकर्ता के खाते पर 12 प्रतिशत की दर पर तिमाही अंतराल पर ब्याज लगाता है तो प्रभावी दर 12.55 प्रतिशत हो जाती है। यदि बैंक उसी खाते में 12 प्रतिशत की ब्याज दर मासिक अंतराल पर लगाता है तो प्रभावी दर 12.68 प्रतिशत हो जाती है। इसलिए बैंकों को ऋणकर्ता के खाते में लगायी गयी 12 प्रतिशत की ब्याज दर को इस तरह समायोजित करना चाहिए कि ऋणकर्ता के लिए प्रभावी ब्याज दर अब तक की तरह 12.55 प्रतिशत से अधिक न हो जाये। दूसरे शब्दों में, उपर्युक्त उदाहरण बैंकों को 11.88 प्रतिशत की ब्याज दर लगानी चाहिए (न कि 12 प्रतिशत की)। यदि ऐसा किया जायेगा तो मासिक अंतराल पर चक्रवृद्धि ब्याज दर लगाने पर भी प्रभावी दर 12.55 प्रतिशत होगी।

कृषि ऋण

मासिक अंतराल पर ब्याज लगाने से संबंधित अनुदेश कृषि अग्रिमों पर लागू नहीं होंगे और बैंक फसल मौसमों से संबद्ध कृषि अग्रिमों पर ब्याज लगाने/चक्रवृद्धि ब्याज लगाने की वर्तमान प्रथा जारी रखेंगे। बैंकों को रिज़र्व बैंक द्वारा जून 1998 में सूचित किये अनुसार लंबे समय की फसलों के लिए कृषि अग्रिमों पर वार्षिक अंतराल पर ब्याज लगाना चाहिए। अल्प समय की फसलों और संबद्ध कृषि कार्यकलापों जैसे डेरी, मछली पालन, सुअर पालन, मुर्गी पालन, मधु मक्खी पालन आदि के संबंध में यदि ऋण/किस्त का भुगतान अतिदेय हो जाये तो बैंक ब्याज लगाने और चक्रवृद्धि ब्याज लगाने के समय ऋण लेने वालों के साथ लचीलेपन और फसल कटने/बेचने के मौसम के आधार पर तय की गयी तारीखों को ध्यान में रखें।

मार्च 2002 में रिज़र्व बैंक ने बैंकों को सूचित किया था कि वे पहली अप्रैल 2002 से अग्रिमों पर मासिक अंतराल पर ब्याज लगाने की पद्धति अपनायें, ताकि 31 मार्च 2004 को समाप्त वर्ष से ऋण में हानि को पहचानने के लिए 90 दिन का मानदंड अपनाया जा सके। अलबत्ता, रिज़र्व बैंक ने कुछ परिचालनगत और प्रक्रिया संबंधी मुद्दों पर बैंकों से प्राप्त कतिपय सुझावों और बैंकों से चर्चा के आधार पर इन अनुदेशों की समीक्षा की है।

विषय सूची

	पृष्ठ
शाखा बैंकिंग	
मासिक अंतराल पर ब्याज लगाना	1
गुजरात दंगों से प्रभावित व्यक्तियों के लिए राहत उपाय	2
सहकारी बैंक	
जमा खातों की निगरानी करना	2
सहकारी बैंकों के लिए कार्यक्रम	3
इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण	3
विदेशी मुद्रा नियंत्रण	
बाह्य वाणिज्य उधारों का पूर्व भुगतान	3
व्यावसायिकों के लिए विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा खाते	4
प्राधिकृत व्यापारियों के लिए उच्च खुली स्थिति सीमाएं	4
यात्रा चेकों के निपटान के लिए प्रेषण	4
वैकल्पिक साख पत्र खोलना	4
विशेष आर्थिक क्षेत्र इकाइयों को दस्तावेज सीधे भेजने की अनुमति	4
विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा (ईईएफसी) खाता	4

गुजरात दंगों से प्रभावित व्यक्तियों के लिए राहत उपाय

माननीय प्रधान मंत्री की घोषणा के अनुसार गुजरात के दंगों से प्रभावित व्यक्तियों को आर्थिक पुनर्वास पैकेज उपलब्ध कराये जाने के संबंध में रिज़र्व बैंक ने बैंकों द्वारा तत्काल लागू किये जाने के लिए एक विशेष राहत पैकेज तैयार किया है। राहत उपाय निम्नानुसार हैं :

- बैंकों को चाहिए कि दंगों से प्रभावित उधारकर्ताओं की ऋण वर्गीकरण स्थिति 31 मार्च 2004 तक 'जो है जैसा है' आधार पर सुरक्षित रखें। मानक आस्तियों के संबंध में वसूली के लिए दो वर्ष तक कोई मांग नहीं की जाए। जिन ऋणों को मानक आस्तियों के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है, उनके संबंध में यदि देय चुकौतियों की प्राप्ति नहीं होती है तो बैंक अगले दो वर्षों तक दंड न लगायें। बैंक 31 मार्च 2004 तक 10 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज लगायें और उसके बाद सामान्य ब्याज दर लगाया जाए।
- खाते की मौजूदा स्थिति कुछ भी होने के बावजूद, छोटे व्यापारी, छोटे कारोबारी, स्व-नियोजित और छोटे सड़क परिवहनकर्ता आदि की श्रेणी में प्रभावित उधारकर्ताओं को मूल उधार दर से अनधिक ब्याज दरों पर उनके कारोबार को फिर से शुरू करने/पुनर्वास करने के लिए एक लाख रुपये तक विशेष सीमाएं स्वीकृत की जानी चाहिए।
- दंगों में जिन घरों/दुकानों की हानि हुई है उनकी मरम्मत/पुनर्निर्माण के लिए बैंक मूल उधार दर से अनधिक ब्याज दर पर 2 लाख रुपये तक का ऋण मंजूर करें।
- लघु उद्योग, कारोबार व्यापार और उद्योग तथा कृषि को अग्रिम देते समय बैंकों को उधारकर्ता के पूर्व कार्यनिष्पादन, खातों का संचालन आदि को देखते हुए आवश्यकता आधारित व्यवस्था के अंतर्गत अतिरिक्त सीमाएं/मौजूदा सीमाओं का पुनर्निर्धारण करके अग्रिमों की स्वीकृति के बारे में सोचना चाहिए। पुनर्निर्धारित ऋणों पर ब्याज 31 मार्च 2004 तक 10 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से और उसके बाद मूल उधार दर पर लगाया जाना चाहिए। दस लाख रुपये तक की अतिरिक्त सीमाओं पर मूल उधार दर से ब्याज लगाया जाएगा और 10 लाख से अधिक की अतिरिक्त सीमाओं पर बैंक स्व-निर्णय से ब्याज लगायेंगे।
- बैंकों को चाहिए कि वे 10 लाख रुपये तक के ऋण पर मूल उधार दर से ब्याज लगायें और 10 लाख रुपये के ऊपर के ऋणों के लिए स्व-निर्णय पर ब्याज लगायें।
- सभी बैंकों की मूल उधार दर एकसमान होगी और वह भारतीय स्टेट बैंक की मूल उधार दर होगी।
- बैंक प्रभावित लाभार्थियों से प्रोसेसिंग शुल्क न लें।
- घरों/दुकानों की मरम्मत/के विनिर्माण के लिए तथा छोटे व्यापारियों, छोटे कारोबार, स्व-नियोजित व्यक्तियों और सड़कों पर छोटे वाहन चलानेवाले व्यक्तियों आदि को राहत पैकेज के अंतर्गत दिये गये ऋण को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार के एक भाग के रूप में समझा जायेगा।
- जिन जमाकर्ताओं की दंगों में मृत्यु हो गयी है, उनके नामितियों द्वारा किये गये दावों का बैंक तत्काल निपटान करें। मृतक व्यक्तियों के नामितियों द्वारा किये गये दावों के संबंध में 50000 रुपये तक का भुगतान क्षतिपूर्ति और शपथपत्र पर किया जाए।
- बैंक इस तरह की सुविधाओं की मंजूरी के लिए अपने शाखा प्रबंधकों को स्व-निर्णय के पर्याप्त अधिकार दें। उधारकर्ताओं द्वारा अतिरिक्त सुविधाओं के लिए किये गये अनुरोध शाखा स्तर पर अस्वीकृत न किये जाएं और उनके बारे में क्षेत्रीय प्रबंधक/आंचलिक प्रबंधक जैसे वरिष्ठ स्तर पर निर्णय लिया जाए।
- शाखा प्रबंधकों को इस बात के लिए प्राधिकृत किया जाए कि वे हर मामले की योग्यता के अनुसार खरीदे/भुनाये गये बिलों की वसूली की अवधि एक महीना बढ़ा सकें।
- बैंक अपने बोर्डों के अनुमोदन से उधारकर्ताओं को गृह-निर्माण के लिए सीधा उधार देने के लिए मार्जिन, जमानत और चुकौती समय-सीमा के निर्धारण के लिए स्वयं के मार्गदर्शी सिद्धांत बनाने के लिए स्वतंत्र हैं।
- कृषि ऋणों के मामले में एक विशेष मामले के रूप में बैंकों को चाहिए कि वे प्रभावित कृषकों से दो वर्ष की अवधि के लिए मूल या ब्याज की राशि वसूल न करें और दो वर्षों के दौरान वसूल न की गयी राशि 7 वर्षों तक की अवधि के लिए पुनर्निर्धारित करें। बैंक ऐसे पुनर्निर्धारित मामलों में 31 मार्च 2004 तक 10 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज दर लगायें। अलबत्ता, पुनर्निर्धारण की कुल अवधि प्रारंभिक स्थगन अवधि को मिलाकर नौ वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- उपभोग ऋण की मंजूरी की मौजूदा 1000 रुपये की सीमा प्रति पात्र लाभार्थी के लिए 2000 रुपये तक बढ़ायी जाए। यद्यपि गुजरात राज्य ने जोखिम निधि का गठन नहीं किया है, फिर भी रियायत के एक उपाय के रूप में ऐसे उपभोग ऋण मंजूर किये जायें।
- ऋण मंजूरी के समय बैंक आस्ति व्याप्ति अनुपात (ऐसेट कवरेज रेशियो) पर बल न दें।
- बैंक 50,000 रुपये तक और उसके सहित की ऋण सीमाओं के लिए कोई संपार्श्विक जमानत/अन्य व्यक्ति की गारंटी का आग्रह न करें।
- यह राहत पैकेज दंगों में प्रभावित वाणिज्यिक दुकानों, होटलों, रेस्तराओं आदि के लिए भी उपलब्ध है।
- बैंक आवास ऋणों को छोड़कर अन्य ऋणों के लिए निम्नानुसार मार्जिन का निर्धारण करें :

	ऋण की राशि (लाख रुपये में)	**मार्जिन** (प्रतिशत में)
(i)	1 लाख रुपये तक	कुछ नहीं
(ii)	1 लाख रुपये से अधिक और 2 लाख रुपये तक	15 प्रतिशत से अनधिक
(iii)	2 लाख रुपये से अधिक और 5 लाख रुपये तक	25 प्रतिशत से अनधिक
(iv)	5 लाख रुपये से अधिक	बैंक के स्व-निर्णय पर

सहकारी बैंक

जमा खातों की निगरानी करना

सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों को सूचित किया गया है कि जमा खाता खोलते समय एवं उनमें परिचालनों की निगरानी करते समय कड़ी सावधानी रखें । आगे उन्हें यह भी सूचित किया गया है कि इस संबंध में रिज़र्व बैंक के अनुदेशों का उल्लंघन करने वाले और/या संदेहास्पद लेनदेनों को सुविधाजनक बनानेवाले अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करें। इस प्रकार के लेनदेनों की सूचना प्रवर्त्तन निदेशालय/आयकर प्राधिकारियों जैसी अन्वेषक एजेंसियों को फौरन दें।

- पांच लाख रुपये या उससे अधिक राशि नकद रूप में जमा करने एवं आहरण करने के बारे में गहन निगरानी करने की एक प्रणाली न केवल जमा खातों अपितु, कैश क्रेडिट/ओवर ड्राफ्ट आदि जैसे अन्य खातों में भी प्रारंभ करें और इस प्रकार के लेनदेनों का उचित रिकार्ड भी रखें।
- शाखा प्रबंधक को चाहिए कि वह पांच लाख रुपये और उससे अधिक राशि के प्रत्येक नकदी जमा या आहरण की सूचना खातेदार के नाम, खाता संख्या, खाता खोलने की तारीख आदि जैसे पूरे विवरणों के साथ पखवाड़े के आधार पर मुख्यालय को दे। शाखाओं से उनका ब्योरा मिलने पर मुख्यालय तत्काल उनके विवरणों की जाँच करे और यदि लेनदेन प्रथम दृष्ट्या संदेह पैदा करनेवाला प्रतीत होता हो तो, अधिकारियों की शाखाओं में प्रतिनियुक्ति कर लेनदेनों की जाँच करवाएं।

रिज़र्व बैंक ने यह पाया था कि उक्त मामले में बार-बार अनुदेश जारी करने के बावजूद कुछ बैंकों ने जमा खाते खोलकर बड़ी राशियों के अंतरण को सुविधाजनक बनाया था। तार अंतरण (टी.टी.) के माध्यम से प्राप्त प्रेषण नये खोले गये खातों में जमा करवाए गये और उनमें से उसी दिन नकद राशियां निकाली गईं।

सहकारी बैंकों के लिए कार्यक्रम

भारतीय रिज़र्व बैंक ने सहकारी बैंकों में प्रबंध सूचना प्रणाली को मज़बूत करने के लिए तकनीकी सहायता कार्यक्रम की शुरूआत की है।

इस कार्यक्रम का लक्ष्य सहकारी बैंकों में प्रबंध सूचना प्रणाली को मज़बूत करना रहेगा। इसके लिए स्थल पर जाकर (ऑनसाइट) उनकी ज़रूरतों तथा प्रणालियों का अध्ययन किया जायेगा तथा यथोचित हल सुझाये जायेंगे और उन्हें लागू करने पर निगाह रखी जायेगी। शुरूआत के तौर पर प्रशिक्षण तथा तकनीकी सहायता केवल अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों तक ही सीमित रहेगी। कार्यक्रम में सहकारी बैंकों द्वारा हिस्सेदारी स्वैच्छिक आधार पर होगी।

भारतीय रिज़र्व बैंक के वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड के दिशानिर्देश में चलाया जानेवाला यह कार्यक्रम राष्ट्रीय बैंक प्रबंध संस्थान, पुणे, कृषि बैंकिंग महाविद्यालय, पुणे तथा बाहरी विशेषज्ञों के सहयोग से चलाया जायेगा। रिज़र्व बैंक कार्यक्रम के लिए सर्वाधिक निधियां जुटायेगा जबकि लाभ पाने वाले संस्थान नाममात्र का योगदान करेंगे।

विदेशी मुद्रा नियंत्रण

बाह्य वाणिज्य उधारों का पूर्व भुगतान

रिज़र्व बैंक ने यह निर्णय लिया है कि बाह्य वाणिज्य उधारों (ईसीबी) के पूर्व भुगतान के लिए प्रायोगिक आधार पर स्वचालित मार्ग अपनाया जाए। ईसीबी के पूर्व भुगतान के लिए स्वचालित मार्ग 31 मार्च 2003 तक उपलब्ध रहेगा।

बाह्य वाणिज्य उधारों के पूर्व भुगतान बिना किसी सीमा के, जिन श्रेणियों के लिए उपलब्ध हैं वे निम्नानुसार हैं :

(i) आवेदन जहां ईसीबी के पूर्व भुगतान की राशि आवेदक कंपनी ने विदेशी निवेश के रूप में विदेशी मुद्रा के भारत में आने के रूप में पूरी तरह से मैच करती है;

(ii) आवेदन जहां ईसीबी के पूर्व भुगतान उधारकर्ता के निर्यात अर्जन विदेशी मुद्रा (ईईएफसी) खाते में रखी शेष राशि में से किया जाता है।

जिन श्रेणियों के लिए 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अनधिक राशि तक के बाह्य वाणिज्य उधारों के पूर्व भुगतान उपलब्ध हैं, वे निम्नानुसार है :

(i) ऋण पूरी अवधि के दौरान केवल एक बार ईसीबी के पूर्व भुगतान बकाया ऋण के 10 प्रतिशत की सीमा तक हो;

(ii) ऋण के पूर्व भुगतान के आवेदन पत्र जहां ऋण की बकाया अवधि एक वर्ष से अधिक नहीं होती।

अलबत्ता, रिज़र्व बैंक भी विशेष रूप से ऐसे मामलों में जहां पर इस तरह के ऋणों पर मौजूदा दरों की तुलना में काफी अधिक ऊंची दरों पर ब्याज दरें लागू थीं, 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की राशियों के पूर्व भुगतान के लिए आवेदनों पर तेजी से विचार करेगा।

अलबत्ता, प्राधिकृत व्यापारियों की पदनामित शाखाएं लेखा-परीक्षकों से इस आशय का प्रमाणपत्र प्राप्त कर लेने के बाद कि आवेदक (i) स्वचालित मार्ग के अंतर्गत पूर्व भुगतान के लिए पात्र है, (ii) उसने सभी संबंधित अधिनियमों, नियमों/विनियमों तथा दिशानिर्देशों के अनुसरण में ईसीबी का लाभ लिया है तथा (iii) उसने रिज़र्व बैंक को ईसीबी-2 विवरणी प्रस्तुत कर दी है, ईसीबी के पूर्व भुगतान के लिए इस तरह के प्रेषणों की अनुमति दे सकता है। प्राधिकृत व्यापारियों को आगे सूचित किया जाता है कि वे प्रेषण के सात दिन के भीतर निर्धारित फॉर्म में पूर्व भुगतान के पूरे ब्यौरे रिज़र्व बैंक को दें।

व्यावसायिकों के लिए विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा खाते

भारतीय रिज़र्व बैंक ने यह निर्णय लिया है कि अलग-अलग व्यावसायिकों को, उनके द्वारा किये गये परामर्श कार्य या व्यक्तियों तथा भारत के बाहर के निकायों को प्रदान की गयी सेवाओं से प्राप्त विदेशी मुद्रा अर्जन के 100 प्रतिशत तक उनके विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा खाते में रखने की अनुमति दी जाए।

इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण

रिज़र्व बैंक द्वारा शुरू की गयी इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण प्रणाली जो आरबीआइ ईएफटी सिस्टम (अंतर-बैंक या इंट्रा-बैंक) के नाम से जानी जाती है, पंद्रह केंद्रों में बैंकों के बीच इलेक्ट्रॉनिक रूप से निधि अंतरण आसान बनाती है। मांग ड्राफ्ट के लिए लागत, गति और सुरक्षा की दृष्टि से यह सबसे बेहतरीन विकल्प है। वर्ष 1994 में प्रायोगिक आधार पर मुंबई और चेन्नै के बीच शुरू की गयी ईएफटी प्रणाली वर्ष 1998 में अन्य दो महानगरों अर्थात् कोलकाता और नई दिल्ली तक विस्तारित की गयी। वर्ष 2001 के दौरान इस प्रणाली की व्याप्ति रिज़र्व बैंक के ऐसे अन्य ग्यारह केंद्रों तक बढ़ायी गयी, जहां रिज़र्व बैंक द्वारा समाशोधन गृहों का प्रबंधन किया जाता है। ये केंद्र हैं: अहमदाबाद, बेंगलूर, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, कानपुर, नागपुर, पटना और तिरुवनन्तपुरम।

ईएफटी प्रणाली में दो बैंक सहभागी होते हैं अर्थात विप्रेषक (रेमिटिंग) बैंक और प्राप्तकर्ता बैंक। इस प्रणाली में बैंक का ग्राहक/खाताधारक निधियों के अंतरण के लिए उस शाखा को ईएफटी अनुरोध फॉर्म (इलेक्ट्रॉनिक रूप से या कागज़ी रूप में) प्रस्तुत करता है जहां उसका खाता है। ग्राहक, लाभार्थी का नाम, उनका बैंक और बैंक शाखा का नाम, उनकी खाता संख्या और प्रेषण की जानेवाली राशि संबंधी जानकारी देता है। ग्राहक का खाता नामे करके लेनदेन किया जाता है। विप्रेषक बैंक अपनी सेवा शाखा को ईएफटी प्रेषण जानकारी भेजता है। सेवा शाखा, बैंक की विभिन्न शाखाओं से इस तरह के सभी प्रेषण अनुदेश इकट्ठा करके, निर्धारित समय पर रिज़र्व बैंक के राष्ट्रीय समाशोधन कक्ष को ईएफटी प्रेषण अनुदेश भेजती है। बैंक की सेवा शाखा सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक मोड में या तो लीज्ड लाइनों के माध्यम से या इन्फिनेट के ज़रिए प्रेषण अनुदेश प्रेषित करती है। राष्ट्रीय समाशोधन कक्ष में लेनदेनों की प्रोसेसिंग की जाती है और इन्फिनेट के माध्यम से भारतीय रिज़र्व बैंक को प्राप्तकर्ता केंद्र पर प्रेषण अनुदेश भेजे जाते हैं।

इस समय, ईएफटी प्रणाली के अंतर्गत दिन में तीन समय पर अर्थात् दोपहर 12.00 बजे, दोपहर 2.00 बजे और दोपहर 4.00 बजे निधि अंतरण किये जाते हैं। प्राप्तकर्ता की ओर पर राष्ट्रीय समाशोधन कक्ष आवक प्रेषण पर प्रोसेस करके रिज़र्व बैंक के जमा लेखा विभाग को संबंधित बैंक के खाते में उसे जमा करने के लिए सूचित करता है। राष्ट्रीय समाशोधन कक्ष प्राप्तकर्ता बैंक की सेवा शाखा को इलेक्ट्रॉनिक रूप से जमा सूचना प्रेषित करता है ताकि लाभार्थी के खाते में जमाराशि जमा की जा सके और सेवा शाखा उसके बदले बिना कोई समय गंवाए लाभार्थी की शाखा को ग्राहक के खाते में राशि जमा करने के लिए सूचना भेजती है।

ईएफटी के अंतर्गत लाभार्थी के खाते में निधियां या तो उसी दिन (अर्थात् टी + ओ आधार पर) या अगले कार्य दिन पर (अर्थात् टी +1 आधार पर) जमा की जाती हैं।

निधि अंतरण की पारंपरिक पद्धति के अनुसार ग्राहक को ड्राफ्ट खरीद कर उसे पोस्ट करना होता है। ड्राफ्ट पानेवाले को ड्राफ्ट अपने बैंक खाते में जमा करना होता है और सामान्यत: उसे क्रेडिट होने में एक सप्ताह लगता है। ईएफटी प्रणाली इस विलम्ब को समाप्त करती है।

अलग-अलग लेनदेनों की अधिकतम सीमा 2 करोड़ रुपये है।

रिज़र्व बैंक दूसरे चरण में ईएफटी प्रणाली और अधिक केंद्रों तक विस्तारित करना चाहता है। रिज़र्व बैंक राष्ट्रीय ईएफटी प्रणाली परियोजना पर भी कार्य कर रहा है, जिसके माध्यम से स्ट्रक्चर्ड फाइनान्शियल मेसेजिंग सोल्यूशन (एसएफएमएस) का इस्तेमाल करके ईएफटी प्रणाली किसी भी स्थान के किसी भी बैंक की किसी भी शाखा से अन्य स्थान के अन्य किसी भी बैंक की किसी भी शाखा में कार्यरत हो सकेगी। इस प्रयोजन के लिए बैंकिंग प्रौद्योगिकी में अनुसंधान और विकास संस्था, हैदराबाद द्वारा एसएफएमएस विकसित किया गया है।

आ. एन. 35646/79 बिना पूर्वभुगतान के डाक से भेजने के लिए लाइसेंस संख्या 24 Regd. No. TECH/47-505/MBI-2002
29 अगस्त तथा 30 अगस्त 2002 को भायखला छँटनी डाक घर से प्रेषित

यह सुविधा वैज्ञानिक, भारतीय विश्वविद्यालयों/संस्थाओं के प्रोफेसर, अर्थशास्त्री, वकील, डॉक्टर, कलाकार, वास्तुविद्, अभियंता, सलाहकार, कॉस्ट/सनदी लेखाकार, विदेशी कंपनियों के निदेशक बोर्डों के व्यक्तियों जैसे अलग-अलग व्यावसायिकों के लाभ और सुविधा के लिए प्रदान की गयी है। इससे व्यावसायिक, रिज़र्व बैंक के किसी पूर्वानुमोदन के बिना, अपनी विदेशी मुद्रा आवश्यकताओं की पूर्ति अपने खातों के निधियों से कर सकेंगे।

इस समय, भारत के निवासियों को अपने विदेशी मुद्रा के अर्जन के अंश से भारत के बैंकों में विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा खाते रखने की अनुमति है। विदेशी मुद्रा विनिमय का कार्य करने वाले किसी भी बैंक की शाखा में विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा खाते खोले जा सकते हैं तथा उन्हें बनाये रखा जा सकता है। विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा खातों में परिचालन के लिए चेक की सुविधाएं भी उपलब्ध हैं।

रिज़र्व बैंक ने बैंकों से कहा है कि यह सुविधा प्राप्त करने के लिए प्राप्त होनेवाले व्यावसायिकों के आवेदनपत्र, संबंधित बैंक शाखाओं द्वारा उसके विदेशी मुद्रा नियंत्रण विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों को प्रेषित किये जायें।

प्राधिकृत व्यापारियों के लिए उच्च खुली स्थिति सीमाएं

बेहतर ग्राहक सेवा उपलब्ध कराने और साथ ही साथ उदारीकरण की दिशा में और आगे बढ़ने के रूप में रिज़र्व बैंक ने यह निर्णय लिया है कि वह प्राधिकृत व्यापारियों से उच्चतर ओवरनाइट खुली स्थिति सीमाओं के लिए आवश्यकता आधारित अनुरोधों पर विचार करेगा। इस सुविधा का लाभ उठाने के इच्छुक बैंक मुख्य महाप्रबंधक, विदेशी मुद्रा नियंत्रण विभाग, केंद्रीय कार्यालय, विदेशी मुद्रा बाज़ार विभाग, मुंबई से, अपने स्वयं के बोर्ड से बढ़ी हुई सीमाओं के लिए अनुमोदन प्राप्त कर लेने के बाद संपर्क करें।

यह सुविधा आगामी सूचना तक उपलब्ध रहेगी।

आपको याद होगा कि प्राधिकृत व्यापारियों को इस बात की अनुमति है कि वे विदेशी मुद्रा खुली स्थितियां रख सकते हैं। ये खरीद और बिक्रियों के बीच बेमेल स्थिति और साथ ही साथ तुलन-पत्र की बेमेल स्थितियों को दर्शानेवाली प्राधिकृत व्यापारी की विदेशी मुद्रा सीमाएं होती हैं। बैंकों को इस बात की अनुमति है कि वे रात भर के लिए बैंकों के प्रबंधन द्वारा निर्धारित और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमोदित खुली स्थिति सीमाएं बनाये रख सकते हैं। खुली स्थितियां द्विमार्गी मूल्य दरों और साथ ही साथ ग्राहकों के लिए बेहतर दरों की सुविधा के लिए विदेशी मुद्रा परिचालनों में बेहतर तालमेल के लिए ज़रूरी होती हैं।

यात्रा चेकों के निपटान के लिए प्रेषण

रिज़र्व बैंक ने प्राधिकृत व्यापारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए सूचित किया है कि भारत में बेचे गये यात्री चेकों के निपटान के प्रेषण, केवल यात्रा चेक जारी करने वाले संगठनों या यात्रा चेक जारी करने वाले संगठन के अधिकृत एजेंटों को ही किये जाते हैं। रिज़र्व बैंक ने यह पाया कि कुछ प्राधिकृत व्यापारियों ने संपूर्ण मुद्रा परिवर्तकों द्वारा बेचे गये यात्री चेकों के निपटान के प्रेषण, यात्री चेक जारी करने वाले संगठनों को छोड़कर अन्य कंपनियों को किये थे।

वैकल्पिक साख पत्र खोलना

रिज़र्व बैंक ने प्राधिकृत व्यापारियों को सूचित किया है कि वे अपने उन ग्राहकों की ओर से वैकल्पिक (स्टैंड बाइ) साख पत्र खोलें, जो अतिरिक्त पुर्ज़ों की बीमाकृत आपूर्ति के मामलों में स्वतंत्र पॉवर उत्पादक हैं। पहले जारी दिशानिर्देशों के अनुसार स्टैंड बाइ साख पत्र खोलने के लिए, केवल अपवादात्मक मामलों में, जैसे अपरिष्कृत तेल (क्रूड ऑइल) और पेट्रोलियम उत्पाद की आयात के लिए कतिपय शर्तों के अधीन, अनुमति दी जाती थी।

विशेष आर्थिक क्षेत्र इकाइयों को दस्तावेज सीधे भेजने की अनुमति

यह निर्णय लिया गया है कि प्राधिकृत व्यापारियों को विशेष आर्थिक क्षेत्रों (स्पेशल इकॉनॉमिक ज़ोन्स) की इकाइयों को भारत के बाहर के परेषितियों को निम्नलिखित शर्तों के अधीन सीधे निर्यात दस्तावेज प्रेषित करने की अनुमति दी जाए (क) निर्यात आय प्राधिकृत व्यापारी के माध्यम से जीआर/एसडीएफ/पीपी/सॉफ्टेक्स फॉर्म में प्रत्यावर्तित की जाती है और (ख) पोतलदान की तारीख से 21 दिनों के भीतर निर्यातक घोषणा फॉर्म की डुप्लीकेट प्रति निगरानी प्रयोजनों के लिए प्राधिकृत व्यापारी को प्रस्तुत करते हैं।

विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा (ईईएफसी) खाता

ईईएफसी खाता क्या है?	यह विदेशी मुद्रा में अभिव्यक्त और प्राधिकृत व्यापारी के पास रखा जानेवाला खाता है, एक ऐसा बैंक जो भारत में विदेशी मुद्रा विनिमय का कारोबार करता है, अर्जन का निर्धारित प्रतिशत परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में जमा करता है।
यह खाता कौन खोल सकता है?	भारत का निवासी, इसमें अलग-अलग फर्मों, कंपनियों आदि का समावेश है।
निर्धारित सीमा क्या है?	(i) हैसियत धारक निर्यातक — अर्जन का शत प्रतिशत (ii) अलग अलग व्यावसायी — अर्जन का शत प्रतिशत (iii) शत प्रतिशत निर्यातोन्मुख इकाइयां/ निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्रों/ अर्जन का सॉफ्टवेयर टेक्नॉलॉजी पार्कों की इकाइयां — अर्जन का 70 प्रतिशत (iv) अन्य — अर्जन का 50 प्रतिशत
खातों के प्रकार	ब्याज रहित चालू/बचत/मीयादी जमा खाता
अनुमत जमा	• निर्धारित सीमाओं के अनुसार विदेशी मुद्रा में अर्जन • ऐसे खातों से पहले आहरित परंतु उपयोग न की गयी विदेशी मुद्रा पुन:जमा
अनुमत नामे	• यात्रा, चिकित्सा, विदेश में अध्ययन, अनुमत आयात, कमीशन, सीमा शुल्क आदि जैसे सभी चालू खाता लेनदेनों के लिए किये गये भुगतान। अलबत्ता, उपहारों और दोनों के लिए प्रति प्रेषक/दानी के लिए 5000 अमेरिकी डॉलर से अधिक किये गये प्रेषण अनुमत नहीं हैं। • अनुमत पूंजी खाता लेनदेनों के लिए किये गये भुगतान। • भारत में शत प्रतिशत निर्यातोन्मुख इकाइयों/निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्रों/सॉफ्टवेयर टेक्नॉलॉजी पार्कों/ इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेअर टेक्नॉलॉजी पार्कों की ओर से वस्तुओं की लागत और प्रदान की गयी सेवाओं के लिए किये गये भुगतान। • व्यापार से संबंधित ऋणों और अग्रिमों के लिए किये गये भुगतान। • भारत के निवासी व्यक्ति को वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति - जिसमें हवाई शुल्क और होटल व्यय का भुगतान शामिल है, के लिए विदेशी मुद्रा में किया गया भुगतान।
चेक सुविधा	उपलब्ध।
नामांकन सुविधा	अन्य कोई निवासी खातों के मामले में अनुमत।

अल्पना किल्लावाला द्वारा **भारतीय रिज़र्व बैंक,** प्रेस संपर्क प्रभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगतसिंह मार्ग, मुंबई 400 001 के लिए संपादित और प्रकाशित तथा **प्रिंटराइट,** 16, ससून डॉक, कुलाबा, मुंबई - 400 005 में मुद्रित । **वार्षिक शुल्क : 12 रुपये मात्र। ग्राहक बनाने के इच्छुक कृपया ग्राहक शुल्क मुंबई में देय चेक/मांग ड्राफ्ट निदेशक, रिपोर्ट, समीक्षा और प्रकाशन प्रभाग (बिक्री अनुभाग) आर्थिक विश्लेषण और नीति विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, अमर बिल्डिंग, सर पी. एम. रोड बॉक्स सं. 1036, मुंबई 400 001 को भेजें । इटरनेट www.cir.rbi.org.in/hindi पर भी उपलब्ध।**